न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 102/2011/75 एलआर एक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी साबूआना।
2. बसरमल पुत्र रूपचन्द जाति सिंधी निवासी मुम्बई।

—रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
   श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

(2) अपील स. 87/2012/75 एलआर एक्ट

शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिंधी निवासी सिंधी मोहल्ला वार्ड नं0 22 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र करनैलसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी साबूआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी टिब्बी दिनांक 30.09.10
प्रकरण सं0 41/2010 अनवानी मलकीत सिह बनाम सरकार

उपस्थित :—

1. श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिंनाक : 05.01.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 मलकीत सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 3 एसबीएन के प.न. 217/199 कि.न. 8, 13 ता 17 की कुल 1.455 है0 भूमि को आवंटी बसरमल से जरिये ईकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के उक्त आवेदन के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरांत अपीलाधीन आदेश के जरिये नियमन आदेश जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध

प्रस्तुत होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपील सं. 102/11 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 87/2012 के रेस्पो0 सं. 2 है, के विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधिक प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रश्नगत भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बैचान किया जाना सिद्ध नही था इसलिए किसी भी सूरत मे नियमन नही किया जा सकता था। प्रश्नगत भूमि का नियमन करने से पूर्व मूल आवंटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो खजाना राज मे जमा करवाई गई या नही इस तथ्य की कोई भी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई और ना ही मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई और ना ही कब्जा बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हुए एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नही था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नही था। इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय से रेस्पो. के हक मे गलत रूप से नियमन किया गया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. अपील सं. 87/2012 के अपीलाण्ट शंकरलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उक्त भूमि बसरमल पुत्र रूपचंद से जरिये ईकरारनामा दिनांक 22.08.1991 खरीद की हुई है। जबकि उक्त प्रश्नगत कुल 6 बीघा भूमि बसरमल पुत्र रूपचंद जाति सिंधी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। बसरमल ने अपने जीवनकाल मे उक्त कृषि भूमि की वसीयत अपीलांट शंकरलाल के पक्ष मे निष्पादित की हुई है। बसरमल की मृत्यु दिनांक 30.11.2001 को हो चुकी है। बसरमल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि जरिये वसीयत अपीलांट को प्राप्त हुई। उक्त भूमि की खातेदारी के संबंध मे अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ की हुई है जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने बसरमल जो आवंटी था को कोई नोटिस जारी किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित

किया है। बसरमल की मृत्यु दिनांक 30.11.2001 को हो चुकी है जिसका ज्ञान रेस्पो0 सं. 1 को था। उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित होने की स्थिति मे अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना व कोई नोटिस जारी किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रश्नगत भूमि का नियमन करवाने का अधिकारी अपीलांट शंकरलाल ही था। रेस्पो0 सं. 1 का कथित इकरारनामा फर्जी व कूटरजित है, बसरमल पुत्र रूपचंद ने कभी भी रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे इकरारनामा निष्पादित नही किया। रेस्पो0 सं. 1 को ईकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार हासिल नही है तथा रेस्पो0 सं. 1 ने अपने पक्ष मे कथित ईकरारनामा दिनांक 22.08.1991 को साबित भी नही किया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट शंकरलाल ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है जिसके संबंध मे धारा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। बहस के अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुए संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जावे। क्योंकि उक्त संलग्न दस्तावेज अपील के निर्णय मे सहायक दस्तावेज है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. अपील सं. 102/11 के रेस्पो0 सं. जो कि अपील सं. 87/2012 मे रेस्पो0 सं. 1 है, के विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है रिकार्ड के विपरीत है समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, नियमन व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया की पालना कानून के मुताबिक की गई है। जमाबन्दी में उक्त भूमि बसरमल पुत्र रूपचन्द कौम सिंधी अलाटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है। आवंटी ने उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट को बेचान कर दी थी। भूमि नियमन कर खातेदारी दिये जाने से पूर्व नियमन की समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए रिपोर्ट लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी का अन्य ऐतराज की

इसमें रकम पूर्ण जमा थी या नही इसकी रिपोर्ट नही ली गई यह ऐतराज भी विधि सम्मत नही है इस संबध में रिपोर्ट ली गई तथा रकम जमा होने का तथ्य पत्रावली पर आया तत्पश्चात नियमन शुल्क भी जमा करवाया गया इसलिये सरकारी रकम बकाया होने का तथ्य भी अपीलार्थी का सही नही है। ईकरारनामा दिनांक 22.08.91 के संबंध बकाया रकम हेतु ईकरारनामा दिनांक15.12.1991 पेश किया गया जिसमे पूर्व मे हुये ईकरारनामा दिनांक 22.08.91 की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा उक्त राशि आवंटी/बैचानकर्ता ने स्वयं ने प्राप्त की है। जो ईकरारनामा दिनांक 15.12.91 से साबित है।

6. अपीलांट शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध मे कथन किया कि अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता। इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलांट को प्रश्नगत आदेश को चुनौती देने की कोई अधिकारिता नही है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के प्रार्थना पत्र की पूर्ण जांच करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी व कूटरचित है जिसके आधार पर अपीलांट कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे बसरमल पुत्र रूपचंद द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी उक्त कृषि भूमि का ईकरारनामा दिनांक 22.08.91 को निष्पादित किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित करते हुए रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे खातेदारी के आदेश प्रदान किये जा चुके है। प्रश्नगत भूमि से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नही है व ना ही प्रश्नगत भूमि अपीलांट के कब्जा मे है। अपीलांट का यह कथन कि उक्त आदेश से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। अपीलांट शंकरलाल की सुनवाई करने की कोई आवश्यकता अधीनस्थ न्यायालय को नही थी क्योंकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये उक्त आदेश के संबंध मे तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का किसी प्रकार से अधिकारी नही है।

7. अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने बहस के अन्त मे जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि उसे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के जवाब से यह दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हो गये है, कतई असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार है। इस आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नही है एवं ना ही इस आधार पर

अपीलांअ को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त होता है। अपीलांट का यह कथन कि बसरमल को बसन्त लाल भी कहते थे संबंधी कथन असत्य होने से अस्वीकार है। अपीलांट द्वारा इस संबंध मे अशोक कुमार व जगदीश के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है इन शपथ पत्रों को भी अतिरिक्त साक्ष्य के रूप मे विधि अनुसार स्वीकार नही किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड व पहचान पत्र से भी यह स्पष्ट नही हो रहा है कि बसरमल व बसन्तलाल एक ही व्यक्ति के नाम हो ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपील के निर्णय हेतु सहायक दस्तावेज नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसलिए उपरोक्त दोनो अपीले आधार हीन होने के कारण दोनो अपीले खारिज की जावे।

8. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट शंकर लाल द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि बसरमल पुत्र रूपचंद अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप मे दर्ज थी आवंटी बसरमल ने उक्त वादग्रस्त भूमि मलकीत सिंह को जरिये ईकरारनामा दिनांक 22.08.1991 बैचान कर दी। उक्त ईकरारनामा के आधार पर रेस्पो0 मलकीत सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष खातेदारी अधिकार बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के अनुसरण मे हस्तान्तरण दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 22.08.1991 जो अपूर्ण है, के आधार पर नियमन/खातेदारी के आदेश पारित कर दिये। जबकि उक्त हस्तान्तरण दस्तावेज पूर्ण नही था, क्योंकि उक्त ईकरारनामा मे प्रश्नगत भूमि का बैचान का सौदा 85000 रू0 मे तय किया गया जिसमे से 50500 रू0 प्राप्त कर लिये गये और शेष 34500 रू0 रजिस्ट्री बैयनामा के समय प्राप्त करूगा, का अंकन किया गया है। उक्त ईकरारनामा मे वर्णित बकाया राशि के संबंध मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 15.12.1991 की चित्रप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमे पूर्व मे दिनांक 22.08.91 को हुये ईकरारनामा की बकाया राशि 34500 रू0 दिये जाने का अंकन किया गया है परन्तु रेस्पो0 द्वारा ईकरारनामा दिनांक 15.12.1991 मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है और ना ही प्रमाणित दस्तावेज है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अन्य अपील सं. 87/2012 मे अपीलांट के कथनानुसार वादग्रत भूमि के संबंध मे आवंटी बसरमल पुत्र रूपचंद द्वारा एक वसीयत दिनांक 10.12.99 को अपीलांट शंकरलाल के पक्ष मे निष्पादित करवाई गई है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट शंकरलाल को बिना सुने एवं बिना सुनवाई अवसर दिये अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि खातेदारी अधिकार रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे किये गये है। वादग्रस्त भूमि के संबंध अपीलांट शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 10.12.99 को निष्पादित किया गया है जबकि वादग्रस्त का बैचान जरिये ईकरारनामा दिनांक 22.08.91 को रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे किया गया है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का बैचान दिनांक 22.08.91 को ईकरारनामा के जरिये करने के उपरांत उसी भूमि की वसीयत दिनांक 10.12.99 को अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित किए जाने से वसीयत के आधार पर अपीलांट को उक्त भूमि उसी स्थिति मे प्राप्त हो सकती है जबकि ईकरारनामा विधिपूर्ण साबित नही हो जावें।

10. उपरोक्त परिस्थितियों मे बेचान/हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण नही होने के कारण इस इकरारनामे के द्वारा किए गए हस्तान्तरण बेचान को विनियमन नही किया जा सकता है। इसलिए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक 15.12.1991 जिसमे पूर्व मे दिनांक 22.08.91 को हुये ईकरारनामा की बकाया राशि 34500 रू0 दिये जाने का अंकन किया गया है, की प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है तथा प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच होने के उपरांत बैचान/हस्तान्तरण अपूर्ण होना पाया जाता है तो अपीलांट शंकरलाल के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 10.12.1991 के संबंध मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए

वसीयत के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। इस प्रकार उपरोक्त दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

11. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले स्वीकार योग्य होने के कारण अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नियमन आदेश 30.09.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे ईकरारनामा दिनांक 22.08.1991 जिसमे अपूर्ण/आंशिक प्रतिफल के आदान प्रदान का अंकन है तथा रजिस्ट्री के समय शेष प्रतिफल के भुगतान का उल्लेख किया गया है, के संबंध मे प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक 15.12.1991 की चित्रप्रति के संबंध मे मूल दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्यों से प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच कर ईकरारनामा के संबंध मे सन्तुष्टि करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने के प्रावधानों के अनुसार हस्तान्तरण के नियमन संबंधी प्रकरण का निस्तारण करें तथा उपरोक्त अनुसार शेष भुगतान के सत्यापन की जांच करने के उपरांत प्रश्नगत भूमि के संबंध मे बैचान/हस्तान्तरण दस्तावेज पूर्ण होना सिद्ध नही पाया जाता है तो प्रश्नगत भूमि के संबंध मे अपीलांट शंकरलाल के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 10.12.1999 की जांच कर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ